कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्रीमती निर्मला शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिन्दायका वार्ड न. 16 जिला जयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांटिया, जिला नागौर किया गया था जिसके विरूद्व श्रीमती निर्मला शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 307/2021 निर्मला शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 307/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15.01.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपिलार्थी श्रीमती निर्मला शर्मा के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में श्रीमती निर्मला शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिन्दायका वार्ड न. 16 (213079) जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगी एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री झाबर सिंह, का अन्तरिम समायोजन माननीय अधिकरण द्वारा अपील में पारित आगामी/अन्तिम निर्णय या श्रीमती निर्मला शर्मा की सेवानिवृति दिनांक 30.04.2021 उपरान्त दिनांक (01.05.2021 से प्रभावी) जो भी पहले हो तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांटिया, जिला नागौर किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/निर्मला/अपील/307/21 **दिनांकः** 28.01.21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/नागौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/नागौर।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
28/1/21